(9)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–1379 / दस–2010–301 / 2000
लखनऊ : दिनाँक : 10 अगस्त, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनाँक 01–07–2009 एवं दिनाँक 01–01–2010 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–933 / दस–2010–301 / 2000, दिनाँक 04 मई, 2010 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेशंन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनाँक 01–07–2008 से 54 प्रतिशत तथा 01–01–2009 से 64 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनाँक 01–07–2009 से 73 प्रतिशत एवं दिनाँक 01–01–2010 से 87 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2– यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3– क्योंकि अनन्तिम पेशंन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेशंन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4– अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राजन शुक्ला
सचिव, वित्त।

—2/—

संख्याःसा–3–1379(1)/दस–2010–301/2000, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 व 2 एवं आडिट–1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, पेशंन, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 37 सा0वित्त–18.08.2010–(841)–2000 प्रतियां (क0/आ0)।